



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161821

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 67990 वर्ष 2015

श्रीमती कंचन देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: प्रेम प्रकाश

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: आजाद राय, सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 34

(एस.एन. 36)

माननीय न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता

1. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश की ओर से पैरवी करते हुए श्री आशीष कुमार मिश्रा, अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर मिश्रा को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका दिनांक 28.07.2015 के आदेश को निरस्त किए जाने तथा प्रत्यर्थीगण को याची द्वारा दिनांक 07.09.2015 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन का निर्णय किए जाने हेतु निर्देशित किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. मामले के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि दिनांक 04.03.2014 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के चयन हेतु एक निर्देश जारी किया तथा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। तदनुसार, यहाँ याची ने अन्य व्यक्तियों के साथ ग्राम-धनसीपुर, विकासखंड-सैदाबाद, जनपद-इलाहाबाद में आशा के उक्त पद हेतु आवेदन किया।
4. दिनांक 08.11.2014 को ग्राम-पंचायत की एक खुली बैठक आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सा सहायक उपस्थित नहीं थे, तथापि उनकी प्रतिनिधि ए.एन.एम., श्रीमती विजय लक्ष्मी उपस्थित थीं और कार्यवाही ग्राम प्रधान तथा ए.एन.एम. की उपस्थिति में संचालित की गई, लेकिन कार्यवाही केवल ग्राम प्रधान द्वारा ही संचालित की गई तथा दिनांक 08.11.2014 को संपन्न चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में ए.एन.एम. के हस्ताक्षर नहीं लिए गए, जिसमें उक्त ग्राम प्रधान ने एकतरफा रूप से यहाँ याची का चयन कर लिया। तथापि, याची के चयन हेतु उक्त संस्तुति को अधीक्षक द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि एक अन्य आवेदक, अर्थात् उर्मिला देवी, विधवा थीं और नियमों के अनुसार उन्हें एक अंक अतिरिक्त दिया जाना आवश्यक था और इसलिए उनका चयन किया जाना चाहिए था।
5. इसके पश्चात, 3 दिन बाद एक अन्य चयन प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें ललिता देवी, जो इंटरमीडिएट की योग्यता रखती थीं, जबकि याची तथा उक्त उर्मिला देवी केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण थीं, अतः उक्त ललिता देवी का चयन करा दिया गया। उक्त ललिता देवी के चयन को उर्मिला देवी द्वारा रिट याचिका संख्या 29229 वर्ष 2015 दाखिल करके चुनौती दी गई, जिसका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2015 के आदेश के माध्यम से निस्तारण करते हुए मामले को प्रत्यर्थी संख्या 2, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वापस भेज दिया गया। फलतः, उक्त उर्मिला देवी द्वारा दिनांक 28.05.2015 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.2015 को निर्णय किया गया। चूँकि पूर्व में आयोजित चयन प्रक्रिया के संबंध में अनियमितताएँ इंगित की गई थीं, अतः संपूर्ण चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नए सिरे से चयन किए जाने का निर्देश दिया।

6. तदनुसार, ग्राम पंचायत द्वारा समुचित सूचना दिए जाने के पश्चात नए सिरे से चयन प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें पुनः संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त ललिता देवी का चयन किया गया, जो दिनांक 03.09.2015 को समुचित सूचना के पश्चात आयोजित बैठक में विचार-विमर्श के लिए अकेली उपस्थित थीं तथा उन्होंने 14 अंक भी प्राप्त किए, जबकि याची तथा उक्त उर्मिला देवी ने केवल 10-10 अंक प्राप्त किए। ऐसी स्थिति में, उक्त ललिता देवी का दिनांक 03.09.2015 को चयन किया गया और तत्पश्चात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारी के मध्य एक अनुबंध निष्पादित किया गया और तत्पश्चात से उक्त ललिता देवी आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं।
7. इसके पश्चात, याची के पति ने दिनांक 03.09.2015 को आयोजित उक्त चयन प्रक्रिया के संबंध में शिकायत की और पुनः याची ने दिनांक 07.09.2015 को जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया तथा चूँकि उक्त शिकायत एवं याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए याची द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।
8. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 03.09.2015 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद के निर्देश के अनुपालन में आयोजित दूसरी चयन प्रक्रिया में कोई अवैधानिकता इंगित नहीं कर सके, क्योंकि दिनांक 03.09.2015 को समुचित सूचना के पश्चात बैठक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आयोजित की गई थी, जिसमें याची उपस्थित नहीं हुई और चयनित अभ्यर्थी, अर्थात् ललिता देवी उपस्थित हुई थीं तथा उनके पास उच्चतर शैक्षिक योग्यता और अधिक अंक थे, फलतः उनका चयन किया गया। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय को दिनांक 03.09.2015 को आयोजित दूसरी चयन प्रक्रिया में कोई अवैधानिकता नहीं मिलती है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6, ललिता देवी का चयन किया गया था।

9. फलतः, वर्तमान रिट याचिका गुणरहित है और तदनुसार निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता)

03 अगस्त, 2026

शुभम आर्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”